राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष सं. 0141–2229314, 2226728 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट : www.lsgraj.in, www.cmar-india.org

क्रमांकः भूमि / एफ.7(ड)(275) / डीएलबी / 2015 / भीलवाड़ा / 5034 दिनांक : 15/06/2016

आ दे श

राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते राज्य सरकार निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुये नगरीय निकाय स्तर पर भवन निर्माण अवधि बढ़ाये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है :–

1. राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अन्तर्गत नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्धारित 10 वर्ष की अवधि में भी भवन निर्माण नहीं करने के कारण निरस्त / निरस्त योग्य भूखण्डों की भवन निर्माण अवधि को दिनांक 31.12.2016 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे।
2. राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 (6)(सी) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के पश्चात् भवन निर्माण हेतु निर्धारित भवन निर्माण अवधि को दिनांक 31.12.2016 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे।

किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं पदेन विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः भूमि / एफ.7(ड)(275) / डीएलबी / 2015 / भीलवाड़ा / 5035–5236 दिनांक : 15/06/2016
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें, राजस्थान।
7. सिटी मैनेजर्स एसोसियेशन, निदेशालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक